राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– **2078 / 2024**

बजरंग लाल सैनी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक :– 26.06.2024

समक्ष :– **अनन्त भंडारी ,सदस्य(न्यायिक)**
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री संदीप सक्सेना उपस्थित।
2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
3. इस अपील में अपीलार्थी ने राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.03.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त की गई है। अपीलार्थी ने प्रतिनियुक्ति समाप्ती के पश्चात जारी आदेश दिनांक 13.06.2024 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय महाविद्यालय, बूंदी में किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2021 में प्राचार्य के पद पर हुई थी, राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम 1986 संशोधित दिनांक 14.10.2022 के नियम 26 के अंतर्गत गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 30.09.2023 द्वारा प्रार्थी का चयन कर प्रार्थी को पांच वर्ष अथवा सेवा निवृत्ति जों भी पहले हो, तक के लिए प्रार्थी को हिंदी ग्रन्थ अकादमी मे पदस्थापित करने की अनुशंसा की गई, जिसकी पालना में श्रीमान आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.10.2023 द्वारा प्रार्थी को हिन्दी ग्रन्थ एकादमी में पदस्थापित करने के आदेश जारी किये गये। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि

अपीलार्थी को चयन समिति ने 5 वर्ष के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी में पदस्थापित रखने अनुशंसा की थी, जिसकी पालना में आदेश दिनांक 06.10.2023 जारी किया गया था। इसके उपरांत 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही अपीलार्थी के संबंध में आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर नहीं रही। ऐसे में आलोच्य आदेश जिसके द्वारा अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है, वह उचित नहीं है।

4. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

5. अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति आदेश दिनांक 17.01.2019 के द्वारा हिन्दी ग्रन्थ अकादमी में निदेशक के पद पर की गई थी। कोई भी प्रतिनियुक्ति नियमानुसार अधिकतम 5 वर्ष के लिए नियमानुसार की जाती है। वर्तमान में अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अपीलार्थी का यह कथन कि वह प्रतिनियुक्ति पर नहीं है, यह माने जाने योग्य नहीं है। हिन्दी ग्रन्थ अकादमी में अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति न होकर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हुई थी। अपीलार्थी को हिन्दी ग्रन्थ अकादमी में समायोजित किया गया हो, यह प्रकट नहीं होता है। यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी प्रतिनियुक्ति पर नहीं रहा हो। हम अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति के 5 वर्ष पूरे होने के पश्चात प्रतिनियुक्ति निरस्त के आदेश को गलत होना नहीं पाते हैं।

6. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)